

# राज्यों की वित्तीय स्थिति

अक्टूबर 2025  
सृष्टि सिंह

जीएसटी से प्राप्त राजस्व, जीएसटी में शामिल करों से मिलने वाले राजस्व की तुलना में कम बना हुआ है

राज्यों में आय असमानता बढ़ी है क्योंकि अमीर राज्य विकास पर अधिक खर्च कर रहे हैं

अधिक राज्य महिलाओं के लिए शर्त रहित नकद हस्तांतरण योजनाएं लागू कर रहे हैं

2023-24 में राज्यों ने राजस्व घाटा दर्ज किया, जिसमें 53% राजस्व प्राप्तियां वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर और 9% सबसिडी पर खर्च की गई। जीएसटी राजस्व 2017 से पहले के राजस्व के स्तर से कम बना हुआ है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान केंद्र से राज्यों को अनटाइड हस्तांतरण में भी गिरावट आई है, जिससे राज्यों की खर्च करने की स्वायत्तता कम हो गई है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएससीआई) राज्यों में पूंजीगत परिव्यय के वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत बन गई है। हालांकि पिछले दो वर्षों में एसएससीआई के शर्त रहित घटक में गिरावट आई है। बहुत से राज्य शर्त रहित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू कर रहे हैं जिससे अन्य विकास मदों पर खर्च करने की उनकी व्यय क्षमता प्रभावित हो रही है। राज्यों का कुल बकाया ऋण अनुशंसित स्तर से लगातार अधिक बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि राज्यों पर ऋण चुकौती का भारी बोझ है। प्रति व्यक्ति आय में असमानता बढ़ रही है क्योंकि उच्च आय वाले राज्यों को अधिक प्रति व्यक्ति राजस्व हासिल होता है और इसलिए ऐसे राज्य विकास में अधिक निवेश कर सकते हैं। कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों के पास विकास को बढ़ावा देने वाले व्यय के लिए सीमित राजकोषीय गुंजाइश होती है।

इसके मद्देनजर इस रिपोर्ट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुद्दुचेरी के बजट दस्तावेजों और कैग के खार्तों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के रेखाचित्रों में राज्यों के लिए निम्नलिखित संक्षिप्त नामों का इस्तेमाल किया गया है।

राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम
आंध्र प्रदेश	AP	जम्मू एवं कश्मीर	JK	पुद्दुचेरी	PY
अरुणाचल प्रदेश	AR	कर्नाटक	KA	राजस्थान	RJ
असम	AS	केरल	KL	सिक्किम	SK
बिहार	BR	मेघालय	MG	तेलंगाना	TG
छत्तीसगढ़	CG	महाराष्ट्र	MH	तमिलनाडु	TN
दिल्ली	DL	मणिपुर	MN	त्रिपुरा	TR
गोवा	GA	मध्य प्रदेश	MP	उत्तराखंड	UK
गुजरात	GJ	मिजोरम	MZ	उत्तर प्रदेश	UP
हिमाचल प्रदेश	HP	नगालैंड	NL	पश्चिम बंगाल	WB
हरियाणा	HR	ओडिशा	OD		
झारखंड	JH	पंजाब	PB		

## खंड

## पृष्ठ संख्या

### राज्यों की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलू

राज्य के वित्त पर उच्च प्रतिबद्ध और सबसिडी व्यय का प्रभाव	2-3
जीएसटी राजस्व की प्रवृत्तियां	3-4
राज्यों को टाइड और अनटाइड हस्तांतरण	4-5
राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय	5-6
प्रति व्यक्ति आय में असमानता	7-8
महिलाओं के लिए शर्त रहित नकद हस्तांतरण योजनाएं	8-9
बकाया ऋण और घाटा	9-10

### राज्य की वित्तीय प्रवृत्तियां

i. प्राप्ति	11-15
ii. व्यय	16-18
iii. ऋण एवं घाटा	18-22
iv. बजट अनुमानों की विश्वसनीयता	23-24
v. क्षेत्रवार परिव्यय में प्रवृत्तियां	25-28

अनुलग्नक	29-33
----------	-------

पारिभाषिक शब्द	34-35
----------------	-------

## राज्यों की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलू

**प्रतिबद्ध व्यय और सबसिडी बहुत अधिक होने से राज्यों का व्यय संबंधी लचीलापन कम होता है**

2023-24 में राज्यों ने सामूहिक रूप से अपनी राजस्व प्राप्तियों का 62% हिस्सा ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और सबसिडी पर खर्च किया। ये खर्च राज्यों के अन्य विकासात्मक व्यय की क्षमता को बाधित करते हैं। इस वर्ष राज्यों ने जीएसडीपी के 0.4% के बराबर राजस्व घाटा दर्ज किया, जो दर्शाता है कि उन्होंने आवर्ती खर्चों के वित्तपोषण के लिए उधार लिया था। राज्यों में घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 27.5% (मार्च 2025 तक) संचित ऋण हो गया है, जिससे विकास संबंधी अन्य गतिविधियों पर व्यय में कमी आई है।

**जीएसटी राजस्व, इस व्यवस्था में शामिल करों की तुलना में कम बना हुआ है**

2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से जीएसटी के अंतर्गत आने वाले करों से प्राप्त कुल राजस्व 2015-16 में जीडीपी के 6.5% से घटकर 2023-24 में 5.5% रह गया है। 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने जीएसटी से मध्यम अवधि में 7% राजस्व प्राप्त का अनुमान लगाया था। अधिकतर राज्यों को पहले की तुलना में जीएसटी से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है, और विभिन्न राज्यों में ये आंकड़े अलग-अलग हैं।

**15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्यों को अनटाइड हस्तांतरण में गिरावट आई है**

11वें और 14वें वित्त आयोग की अवधि के बीच राज्यों के कुल हस्तांतरणों में अनटाइड हस्तांतरणों का हिस्सा 44% से बढ़कर 68% हो गया था। हालांकि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान यह घटकर कुल हस्तांतरणों का 64% रह गया। 14वें वित्त आयोग ने अनटाइड हस्तांतरणों को बढ़ाने का सुझाव दिया था ताकि राज्यों का व्यय संबंधी लचीलापन बढ़े और उन्हें अपने विवेक और प्राथमिकताओं के अनुसार धनराशि खर्च करने का अवसर मिले।

**केंद्रीय सहायता से राज्यों में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जा रहा है**

पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत, राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षों का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। 2020-21 और 2025-26 (11 अगस्त, 2025 तक) के बीच राज्यों को इस योजना के अंतर्गत 4,01,276 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इस अवधि के दौरान अपने राजस्व से राज्यों का पूंजीगत व्यय स्थिर रहा, जबकि योजना की मदद से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई।

**विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में असमानता बढ़ी है**

उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य अधिक राजस्व अर्जित करते हैं, और इसलिए विकास पर प्रति व्यक्ति अधिक खर्च करने की उनकी क्षमता ज्यादा होती है। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का एक सकारात्मक चक्र बना है। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में अमीर और गरीब राज्यों के बीच का अंतर बढ़ता गया है।

**महिलाओं के लिए शर्त रहित नकद हस्तांतरण से राजकोषीय दबाव बढ़ा है**

2025-26 में महिलाओं को शर्त रहित नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इन राज्यों द्वारा इन योजनाओं पर कुल मिलाकर 1,68,040 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। इन योजनाओं को लागू करने वाले 12 राज्यों में से छह ने राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है।


**राज्यों में बकाया ऋण अभी भी महामारी-पूर्व स्तर से अधिक है**

2024-25 तक राज्यों का बकाया ऋण जीडीपी का 27.5% था। यह एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित 20% के स्तर से अधिक था। केवल तीन राज्य- गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा- इस अनुशंसित ऋण लक्ष्य को पूरा कर पाए। उच्च ऋण स्तरों के कारण राज्यों में ब्याज भुगतान का दायित्व बढ़ गया है। 2016-17 और 2024-25 के बीच ब्याज भुगतान में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, जो राजस्व प्राप्तियों की 9.2% की वृद्धि से अधिक है।

## प्रतिबद्ध व्यय और सबसिडी के अधिक होने से राज्यों का व्यय संबंधी लचीलापना कम हुआ

राज्यों ने 2023-24 में जीएसडीपी का 7.5% हिस्सा स्वयं के राजस्व के रूप में जुटाया और जीएसडीपी का 5.5% केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त किया। हालांकि राजस्व व्यय राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहा, जिससे राजस्व घाटा 0.4% रहा। यह दर्शाता है कि राज्यों ने पूंजीगत व्यय के अलावा, आवर्ती खर्चों के वित्तपोषण के लिए भी उधार लिया। यह अंतर राज्यों पर राजकोषीय दबाव को स्पष्ट करता है, जो मुख्य रूप से उच्च प्रतिबद्ध व्यय और सबसिडी व्यय के कारण है। 12वें वित्त आयोग के बाद से सभी वित्त आयोगों (एफसी) ने राज्यों में राजस्व घाटे को समाप्त करने का प्रयास किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्व व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने से ऋण का संचय होता है, चूंकि भविष्य में उस ऋण को चुकाने की क्षमता उत्पन्न नहीं होगी।

**रेखाचित्र 1: राज्यों का कुल व्यय प्राप्तियों से अधिक हो गया, जिसके कारण 2023-24 में राजकोषीय घाटा हुआ (जीएसडीपी का %)**




नोट: \*पूंजीगत व्यय (एसएससीआई) के लिए राज्यों को दिए जाने वाले 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण को बाहर करने हेतु राजकोषीय घाटे को समायोजित किया गया है। हम एसएससीआई के तहत ऋणों को राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लगभग बराबर मान रहे हैं (पृष्ठ 5, 6 देखें)। कुछ आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली, गोवा, पुद्दुचेरी और जम्मू-कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; कैग; पीआरएस।

2023-24 में राज्यों ने सामूहिक रूप से अपनी राजस्व प्राप्तियों का 53% वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन पर और 9% सबसिडी पर खर्च किया (पृष्ठ 16, 17, 18 देखें)। यह उनकी जीएसडीपी का 8.1% था। हालांकि विभिन्न राज्यों में यह व्यय भिन्न-भिन्न है। पंजाब इन मदों पर अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक खर्च करता है (107%)। प्रतिबद्ध मदों और सबसिडी पर उच्च व्यय वाले अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश (राजस्व प्राप्तियों का 85%), तमिलनाडु (77%), केरल (75%), और हरियाणा (71%) शामिल हैं। इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने से अल्पावधि में इसे कम नहीं किया जा सकता। इससे विकास की अन्य मदों पर खर्च करने की राजकोषीय गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब राज्यों की उधार लेने की क्षमता सीमित होती है तो इससे पूंजीगत व्यय में कटौती हो सकती है (पृष्ठ 24 देखें)। 2023-24 में राज्यों का पूंजीगत व्यय उनकी जीएसडीपी का 2.7% होगा।

2023-24 में कुल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.6% था (पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए गए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों को समायोजित करते हुए)। लगातार राजकोषीय घाटे के कारण राज्यों में ऋण का संचय हुआ है। 2023-24 में राज्यों की बकाया देनदारियां जीडीपी के 27.5% पर थीं। यह राज्यों के लिए जीडीपी के 20% के अनुशंसित ऋण स्तर से अधिक है। हालांकि विभिन्न राज्यों में बकाया देनदारियां अलग-अलग हैं (पृष्ठ 20 देखें)। बकाया देनदारियों में वृद्धि से राज्यों पर ऋण चुकौती का बोझ बढ़ जाता है। 2023-24 में राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का 13% ब्याज भुगतान पर खर्च किया (पृष्ठ 16, 17 देखें)। इससे अन्य विकास और पूँजीगत व्यय के लिए गुंजाइश और कम हो जाती है।

**रेखाचित्र 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों की कुल बकाया देनदारियां**



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; एमओएसपीआई; आरबीआई; पीआरएस।


## जीएसटी राजस्व, इस व्यवस्था में शामिल करों की तुलना में कम बना हुआ है

2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक संरचनात्मक सुधार किया। जीएसटी एक उपभोग-आधारित मूल्य वर्धित कर है जो केंद्र और राज्य, दोनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।<sup>1</sup> इसमें वैट, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और प्रवेश कर सहित केंद्र और राज्य स्तर पर कई कर और शुल्क शामिल हैं।<sup>2</sup>

जीएसटी के बाद से केंद्र और राज्यों के सम्मिलित करों से कुल राजस्व 2015-16 (जीएसटी-पूर्व व्यवस्था) में जीडीपी के 6.5% से घटकर 2023-24 में जीडीपी का 5.5% रह गया है (रेखाचित्र 3 देखें)। 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने मध्यम अवधि में 7% जीएसटी-से-जीडीपी अनुपात (जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से राजस्व को छोड़कर) अनुमान लगाया था।<sup>1</sup>

**रेखाचित्र 3: केंद्र और राज्यों के लिए जीएसटी राजस्व सम्मिलित करों के स्तर से नीचे बना हुआ है (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)**

2015-16 तक के चार वर्षों में राज्यों को उन करों से जीडीपी का औसतन 2.8% राजस्व प्राप्त हुआ, जिन्हें बाद में जीएसटी में शामिल कर दिया गया। जीएसटी के पहले पूर्ण वर्ष में यह राजस्व घटकर 2.7% रह गया और कोविड-19 के वर्ष 2020-21 में और घटकर 2.3% रह गया, और फिर 2024-25 (अंतिम अनुमान) में वापस 2.8% पर पहुंच गया। जीएसटी के सात वर्षों में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में औसत एसजीएसटी (2.6%) जीएसटी से पहले के चार पूर्ण वर्षों में समाहित करों के औसत से कम रहा है। राज्यों को पहले पांच वर्षों के दौरान एसजीएसटी राजस्व में 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी गई थी। जिन राज्यों में यह वृद्धि नहीं हो पाई, उन्हें जून 2022 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त राजस्व के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई।




नोट: 2015-16 और 2016-17 के आंकड़ों में जीएसटी के अंतर्गत आने वाले कर शामिल हैं। रेखाचित्र में 2017-18 शामिल नहीं है क्योंकि जीएसटी इस अवधि के कुछ हिस्से के लिए ही लागू किया गया था। रेखाचित्र में राजस्व हानि के लिए राज्यों को दी गई जीएसटी क्षतिपूर्ति को भी शामिल नहीं किया गया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में आईजीएसटी के संबंधित हिस्से शामिल हैं। पीए अंतिम वास्तविक है।

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए प्राप्त बजट, केंद्रीय बजट; एमओएसपीआई; जीएसटी पोर्टल; तारांकित प्रश्न संख्या 164, राज्यसभा, वित्त मंत्रालय, 3 दिसंबर, 2019; लेखा महानियंत्रक; पीआरएस।

राज्यों के बीच इसमें उल्लेखनीय भिन्नता रही है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में जीएसटी-पूर्व व्यवस्था की तुलना में उनके सम्मिलित कर और जीएसडीपी अनुपात में सुधार देखा गया है (रेखाचित्र 4 देखें)। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि

प्रदर्शन में यह सुधार जीएसटी व्यवस्था के तहत कराधान के गंतव्य-आधारित सिद्धांत के कारण हो सकता है।<sup>1</sup> इसकी तुलना में पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे अन्य राज्यों में जीएसटीपी के प्रतिशत के रूप में सम्मिलित करों से प्राप्त राजस्व में अपेक्षाकृत बड़ी गिरावट आई है।

**रेखाचित्र 4: अधिकतर राज्यों को पहले के सम्मिलित करों से ज्यादा राजस्व मिलता था। जीएसटी से उन्हें कम राजस्व प्राप्त होता है (जीएसटीपी का %)**



नोट: रेखाचित्र में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा शामिल नहीं हैं क्योंकि जीएसटी पूर्व उनके राजस्व संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2014 में विभाजन के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं। स्रोत: एस्टेट्स डेटाबेस, आरबीआई; जीएसटी पोर्टल; राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।


जीएसटी से 7% राजस्व प्राप्ति के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तमाम सुझावों में से एक जीएसटी दर की संरचना को सुव्यवस्थित करना और दरों की संख्या घटाकर तीन करना था।<sup>1</sup> सितंबर 2025 में जीएसटी का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। अब मूल दर 18% निर्धारित की गई है, कुछ व्यापक उपभोग वाली वस्तुओं पर 5% और डीमेरिट वस्तुओं पर 40%।<sup>3</sup> कुछ आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में राजस्व सचिव के हवाले से कहा गया है कि इससे 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन खपत बढ़ने से राजस्व में यह गिरावट कम हो सकती है।<sup>4</sup>

## 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्यों को अनटाइड हस्तांतरणों में गिरावट आई है

संविधान ने केंद्र और राज्यों, दोनों को विभिन्न विषयों पर राजस्व जुटाने और व्यय करने की शक्तियां प्रदान की हैं। केंद्र को कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करने का अधिकार है, जबकि राज्यों की ज़िम्मेदारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता जैसी सेवाएं प्रदान करने की हैं। राज्यों के अपने राजस्व उनकी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राज्यों की राजस्व सृजन क्षमता और व्यय आवश्यकताओं में भी अंतर है। इस अंतर को दूर करने के लिए, वित्त आयोग (एफसी) राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण का सुझाव देता है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के अलावा राज्यों को केंद्र से अनुदान सहायता भी मिलती है। 2025-26 में कर हस्तांतरण और अनुदान सहायता सहित राज्यों को कुल हस्तांतरण जीडीपी का 7.2% होने का अनुमान है।

पिछले पांच वित्त आयोगों की अवधियों के दौरान, राज्यों के साथ साझा किए गए केंद्रीय राजस्व का हिस्सा केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 49%-53% के बीच रहा है। हालांकि केंद्र अपने राजस्व का आधा हिस्सा राज्यों के साथ साझा करता रहा है लेकिन इस अवधि के दौरान इन हस्तांतरणों की संरचना में बदलाव आया है। 14वें और 15वें वित्त आयोग की अवधियों के दौरान केंद्र ने अनुदानों और अन्य हस्तांतरणों की तुलना में कर हस्तांतरण के माध्यम से अपने राजस्व का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा साझा किया।

### रेखाचित्र 5: केंद्र आधा राजस्व राज्यों के साथ बांटता है




स्रोत: बजट एक नज़र दस्तावेज़ के विभिन्न वर्षों के आंकड़े, केंद्रीय बजट; पीआरएस।



राज्यों को हस्तांतरण में टाइड और अनटाइड, दोनों घटक शामिल होते हैं। कर हस्तांतरण और राजस्व घाटा (आरडी) अनुदान जैसे अनटाइड घटक राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों को खर्च करने का लचीलापन प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, टाइड हस्तांतरण कुछ उद्देश्यों के लिए निर्धारित होते हैं, प्रदर्शन-आधारित हो सकते हैं और इसमें निगरानी तंत्र का कार्यान्वयन शामिल होता है।<sup>1</sup> इन हस्तांतरणों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन, पूर्ववर्ती योजना आयोगों द्वारा अनुशंसित योजना और गैर-योजना अनुदान, और सशर्त वित्त आयोग अनुदान शामिल हैं। 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने का अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अनटाइड हस्तांतरण का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए।<sup>6</sup>

पिछले पांच वित्त आयोगों के दौरान राज्यों को कुल हस्तांतरणों में टाइड और अनटाइड हस्तांतरणों का हिस्सा अलग-अलग रहा है (रेखाचित्र 6 देखें)। 11वें और 14वें वित्त आयोगों के बीच राज्यों के अनटाइड हस्तांतरण 44% से बढ़कर 68% हो गए। हालांकि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान यह हिस्सा घटकर 64% रहने का अनुमान है।

**रेखाचित्र 6: 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्यों को कुल हस्तांतरण में अनटाइड प्रकृति के हस्तांतरणों में कमी आई है**




नोट: हम एसएससीआई के तहत 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों को लगभग अनुदान के बराबर मान रहे हैं (पृष्ठ 5, 6 देखें)। हमने टाइड घटक के तहत 11वें-13वें वित्त आयोग की अवधि के लिए अपनी गणनाओं में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी की गई राशि को भी शामिल किया है। पहले ऐसे हस्तांतरण राज्यों के बजट को दरकिनारा कर दिए जाते थे, लेकिन 2014-15 से इन्हें राज्य के बजट के माध्यम से किया जाने लगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण और अनुदान को भी राज्यों को अनटाइड हस्तांतरण के रूप में गिना जाता है। स्रोत: आरबीआई; विभिन्न अवधियों के लिए वित्त आयोग की रिपोर्टें; विभिन्न वर्षों के लिए केंद्रीय बजट दस्तावेज; अतारांकित प्रश्न संख्या 4087, व्यय विभाग, लोकसभा, 18 अगस्त, 2025; पीआरएस।

## केंद्रीय सहायता से राज्यों में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जा रहा है

2014-15 और 2024-25 के बीच राज्यों द्वारा पूंजीगत परिव्यय जीडीपी के 2.2% से 2.4% के बीच रहा है (रेखाचित्र 7 देखें)। पूंजीगत परिव्यय सड़कों, सिंचाई के कार्यों, अस्पतालों और स्कूल भवनों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय होता है। पूंजीगत परिव्यय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में सुधार करता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।<sup>7,8</sup>


राज्यों द्वारा अधिक पूंजीगत परिव्यय को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2020-21 में राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएससीआई) शुरू की।<sup>7</sup> इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु 50 वर्षों का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करती है। 2020-21 में राज्यों को वितरित ऋण लगभग 12,000 करोड़ रुपये थे, जिसके 2025-26 (बजट अनुमान) में बढ़कर 1,50,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है (राज्यवार जारी राशि के लिए तालिका 2 देखें)। 2024-25 में राज्यों द्वारा अपने पूंजीगत परिव्यय का 19% हिस्सा एसएससीआई ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित करने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में यह 2.9% था।

**रेखाचित्र 7: राज्यों के कुल पूंजीगत परिव्यय में एसएससीआई ऋणों का हिस्सा बढ़ा है (% में)**



नोट: उदय योजना के कारण 2015-16 और 2016-17 के लिए पूंजीगत परिव्यय अधिक था। 2024-25 के आंकड़े अंतिम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं।  
 स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 227, लोकसभा, 3 फरवरी, 2025;  
 एमओएसपीआई; कैग; विभिन्न वर्षों के राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

**रेखाचित्र 8: एसएससीआई योजना के तहत शर्त रहित ऋण 2024-25 में कम हुए (करोड़ रुप में)**




स्रोत: 2020-21 और 2021-22 के लिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण; विभिन्न वर्षों के लिए एसएससीआई हेतु योजना दिशानिर्देश; पीआरएस।

कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राज्यों को 2020-21 में उधार सीमा को जीएसडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% करने की अनुमति दी गई थी (कुछ शर्तों के साथ)।<sup>9</sup> 2024-25 तक उधार सीमा को घटाकर जीएसडीपी का 3.5% कर दिया गया।<sup>10</sup> इस अवधि के दौरान एसएससीआई योजना ने उधार सीमा से परे दीर्घकालिक ऋण प्रदान करके राज्यों में समग्र पूंजीगत व्यय को आसान बनाने में मदद की। जबकि राज्यों के अपने पूंजीगत व्यय संबंधी प्रयास (एसएससीआई ऋणों को छोड़कर) अपेक्षाकृत स्थिर रहे हैं, केंद्रीय सहायता ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया है (रेखाचित्र 7 देखें)। 2024-25 में कई राज्यों ने इन ऋणों के माध्यम से पूंजीगत परिव्यय के 25% से अधिक का वित्तपोषण करने का अनुमान लगाया है (रेखाचित्र 9 देखें)।

इस योजना के तहत जारी किए गए ऋणों में सशर्त और बिना शर्त घटक शामिल हैं। इस योजना के तहत सशर्त धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसी पूंजी प्रधान योजनाओं और परियोजनाओं से जुड़ी हैं। शर्त रहित धनराशि, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी के आधार पर आवंटित की जाती है। हालांकि इस योजना के तहत राज्यों को आवंटित शर्त रहित ऋणों का हिस्सा 2022-23 में 80% से घटकर 2025-26 में केवल 38% रह गया है (रेखाचित्र 8 देखें)। शर्त रहित धनराशि की कम उपलब्धता के कारण, राज्यों के पास पूंजीगत व्यय से संबंधित अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का लचीलापन सीमित हो सकता है।

**रेखाचित्र 9: 2024-25 में 14 राज्य अपने पूंजीगत व्यय का 25% से अधिक एसएससीआई ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित करेंगे**




नोट: आंकड़े अंतिम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत 2024-25 तक ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया था। 2025-26 में विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस योजना के तहत 2,000 करोड़ रुप आवंटित किए गए हैं।  
 स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 4087, व्यय विभाग, लोकसभा, 18 अगस्त, 2025; कैग; राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।




## विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में असमानता बढ़ी है

नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक धन खर्च करते हैं। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि प्रति व्यक्ति अधिक सार्वजनिक व्यय राज्यों में उच्च जीएसडीपी वृद्धि में योगदान दे सकता है।<sup>11</sup> किसी राज्य की व्यय क्षमता उसके राजस्व से गहराई से जुड़ी होती है, जो बदले में उसके जीएसडीपी से संबंधित होता है।


इस प्रकार उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों का प्रति व्यक्ति राजस्व अधिक होता है, और इसलिए वे विकास एवं बुनियादी ढांचे पर प्रति व्यक्ति अधिक खर्च कर सकते हैं। इससे विकास को बढ़ावा मिलता है और आने वाले वर्षों में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों और निम्न प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों के बीच का अंतर कई वर्षों के दौरान बढ़ता जाता है। इसे निम्नलिखित रेखाचित्र 10 से रेखाचित्र 12 में देखा जा सकता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसमें अपवाद हैं, क्योंकि दोनों का प्रति व्यक्ति राजस्व उनके जीएसडीपी स्तरों की तुलना में अधिक है। चूंकि इन दोनों ही राज्यों में खनन राजस्व का एक बड़ा स्रोत है।




**रेखाचित्र 10: 2014-15 में अमीर राज्यों ने अपने करों में अधिक वृद्धि की और प्रति व्यक्ति व्यय को भी अधिक बढ़ाया (प्रति व्यक्ति रुपए में)**



**रेखाचित्र 11: ...और वही राज्य 2023-24 में भी ऐसा ही करते रहे (प्रति व्यक्ति रुपए में)**



**रेखाचित्र 12: ...इस प्रकार प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में असमानता बढ़ रही है (प्रति व्यक्ति रूप में)**




नोट: प्रति व्यक्ति आय, स्वयं राजस्व और व्यय की गणना राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा संबंधित वर्ष के राज्यवार जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की गई है। इस रेखाचित्र में एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 16 राज्य शामिल हैं और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं।  
स्रोत: आरबीआई; एमओएसपीआई; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; 2025-26 के लिए विभिन्न राज्यों के राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## महिलाओं के लिए शर्त रहित नकद हस्तांतरण से राजकोषीय दबाव बढ़ा है

महिलाओं को बड़े पैमाने पर शर्त रहित नकद हस्तांतरण (यूसीटी) प्रदान करने वाले राज्यों की संख्या 2022-23 में दो से बढ़कर 2025-26 में 12 हो गई है (रेखाचित्र 13 देखें)। यूसीटी का उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर समूहों की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।<sup>12,13,14,15</sup> इन योजनाओं के प्राथमिक लाभार्थियों का चयन आय सीमा, आयु वर्ग और कुछ अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है।


2025-26 के बजट के अनुसार, राज्यों द्वारा महिलाओं के लिए यूसीटी योजनाओं पर सामूहिक रूप से 1,68,040 करोड़ रुपये (जीडीपी का 0.5%) खर्च करने का अनुमान है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में इन योजनाओं के लिए आवंटन में क्रमशः 31% और 15% की वृद्धि की है।

**रेखाचित्र 13: राज्यों में महिलाओं को शर्त रहित नकद हस्तांतरण में वृद्धि हुई है...**



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

**रेखाचित्र 14: ... इससे राजस्व संतुलन प्रभावित हो रहा है (2025-26)**



नोट: हिमाचल प्रदेश ने चरणबद्ध तरीके से नकद हस्तांतरण योजना शुरू की है, जिसे बाद में राज्य की सभी महिलाओं तक बढ़ाया जाएगा।<sup>16</sup> जीएसडीपी अनुमानों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली को इससे बाहर रखा गया है।  
स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।


यूसीटी योजनाओं को लागू करने वाले 12 राज्यों में से छह ने 2025-26 में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। हालांकि यूसीटी योजनाओं पर व्यय को हटाकर राजस्व संतुलन को समायोजित करने से इन राज्यों के राजकोषीय संकेतकों में सुधार दिखाई देता है (रेखाचित्र 14 देखें)। यानी अन्य सभी चीजों के स्थिर रहने पर इन नकद हस्तांतरणों के परिणामस्वरूप कर्नाटक में 0.6% के राजस्व घाटे की बजाय 0.3% का राजस्व अधिशेष होता है। इसी प्रकार इन हस्तांतरणों से मध्य प्रदेश में 1.1% का राजस्व अधिशेष घटकर जीएसडीपी का 0.4% होता है।

आरबीआई (2024) ने कहा था कि राज्यों में किसानों, युवाओं और महिलाओं को सबसिडी और नकद हस्तांतरण दिया जा रहा है। इन मदों में तेज वृद्धि से उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है।<sup>8</sup> आरबीआई ने इस तरह के खर्च को व्यवस्थित करने का सुझाव दिया क्योंकि इससे राज्य में अन्य उत्पादक व्यय की गुंजाइश कम हो सकती है।

अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना के तहत कुछ महिलाओं के लिए मासिक लाभ को 1,500 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया। ये वे महिलाएं हैं जिन्हें एक अन्य सरकारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (जो किसानों के लिए लक्षित है) के तहत हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं।<sup>17</sup> अक्टूबर 2024 में झारखंड ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मासिक भुगतान राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी।

18

#### रेखाचित्र 15: राज्य अपने राजस्व व्यय का 6% शर्त रहित नकद हस्तांतरण पर खर्च करेंगे (2025-26 बजट अनुमान)



स्रोत: संबंधित योजना वेबसाइट; राज्य बजट दस्तावेज 2025-26; पीआरएस।

### राज्यों में बकाया ऋण अभी भी महामारी-पूर्व स्तर से अधिक है

2005-06 और 2024-25 के बीच राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 2.4% से बढ़कर जीडीपी का 3% (संशोधित अनुमान) हो गया है। उच्च राजकोषीय घाटे का अर्थ है, अधिक उधारी जो राज्यों के बकाया ऋण को बढ़ाती है, और उच्च ब्याज भुगतान की ओर ले जाती है। जबकि राजकोषीय घाटा और ऋण स्तर के लक्ष्य कानूनों और वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, कई राज्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं (रेखाचित्र 30 देखें)। 2024-25 में 15 राज्यों में राजकोषीय घाटा 2005-06 की तुलना में अधिक था। राज्यों द्वारा जीएसडीपी के 3% की मूल राजकोषीय घाटे की सीमा को पार करने का एक कारण केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों जैसे बिजली क्षेत्र में सुधार, दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋणों को हटाना और एनपीएस योगदान के तहत छूट देना है।<sup>19,5</sup>


मार्च 2025 तक राज्यों का कुल बकाया ऋण जीडीपी का 27.5% था, जबकि केंद्र का बकाया ऋण 56% था (रेखाचित्र 16 देखें)। जबकि राज्यों का कुल बकाया ऋण 15वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप है, कई राज्य अपने लक्षित ऋण स्तरों को पूरा नहीं कर पाए हैं (15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सांकेतिक ऋण और राज्यों के बकाया ऋण की तुलना के लिए अनुलग्नक में तालिका 4 देखें)। 2017 में एफआरबीएम समीक्षा समिति (अध्यक्ष: श्री एन. के. सिंह) ने राज्यों के लिए 20% और केंद्र के लिए 40% की ऋण सीमा का सुझाव दिया था।<sup>20</sup> 2024-25 तक केवल तीन राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा, इस अनुशंसित ऋण स्तर को प्राप्त कर पाए हैं (रेखाचित्र 31 देखें)। अगस्त 2025 में वित्त संबंधी स्थायी समिति ने राज्य स्तर पर निरंतर राजकोषीय अनुशासन का सुझाव दिया था ताकि ऋण-जीडीपी अनुपात को 20% के अनुशंसित स्तर तक लाया जा सके और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।<sup>21</sup>

तालिका 1: 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा और बकाया ऋण लक्ष्य (जीडीपी का %)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		बकाया ऋण	
	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक
2020-21	4.2%	4.0%	31.1%	30.9%
2021-22	3.3%	2.7%	30.7%	29.0%
2022-23	3.3%	2.4%	31.3%	27.8%
2023-24	2.8%	2.6%	31.1%	27.3%*
2024-25	2.8%	3.0%	30.9%	27.5%*
संअ				
2025-26	2.8%	-	30.5%	-

नोट: इस तालिका में राजकोषीय घाटा और बकाया ऋण में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए गए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण शामिल नहीं हैं।  
\*2023-24 और 2024-25 के लिए बकाया ऋण क्रमशः संशोधित अनुमान और बजट अनुमान हैं। स्रोत: आरबीआई; राज्य बजट दस्तावेज; 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट; एमओएसपीआई; पीआरएस।


रेखाचित्र 16: केंद्र और राज्य सरकार का बकाया ऋण (जीडीपी के % के रूप में)



नोट: 2015-16 और 2016-17 के बीच, उदय योजना के तहत सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के ऋण अधिग्रहण के कारण राज्यों का बकाया ऋण बढ़ा। राज्यों के बकाया ऋण में 2020-21 और 2024-25 के बीच पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए गए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण शामिल नहीं हैं।  
स्रोत: आरबीआई; कैग; एमओएसपीआई; पीआरएस।

ऋण स्तरों में वृद्धि का एक अर्थ यह है कि ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ेगा। ऋण चुकाने का बोझ अधिक होने से राज्यों का अन्य राजस्व और पूंजीगत मदों पर खर्च करने का लचीलेपन कम होता है। 2016-17 और 2024-25 के बीच, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 10.9% से बढ़कर 11.8% हो गया है (रेखाचित्र 17 देखें)। वित्त संबंधी स्थायी समिति (2025) ने कहा है कि ऋण में कमी के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज के अनुपात में भी कमी आनी चाहिए।<sup>21</sup> 2016-17 और 2024-25 के बीच ब्याज भुगतान में 10% की उच्च वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व प्राप्तियों में 9.2% की वृद्धि हुई है (राज्यवार तुलना के लिए अनुलग्नक में तालिका 5 देखें)।

रेखाचित्र 17: अधिकांश राज्यों में राजस्व प्राप्ति के अनुपात में ब्याज भुगतान में वृद्धि (% में)



स्रोत: आरबीआई; कैग; एमओएसपीआई; पीआरएस।


## राज्य वित्त की प्रवृत्तियां

इस खंड में 2025-26 के बजट अनुमानों के आधार पर राज्य के वित्त के रुझानों पर चर्चा की गई है।

### अधिकांश राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं कर राजस्व है

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्वयं राजस्व और (ii) केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण। स्वयं राजस्व में राज्य सरकार द्वारा कर और गैर-कर स्रोतों से अर्जित राजस्व शामिल होता है। राज्यों को केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से और सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से हस्तांतरण भी प्राप्त होता है। केंद्रीय करों से प्राप्तियां वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार हस्तांतरित की जाती हैं। सहायता अनुदान में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान और वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सहायता अनुदान शामिल हैं।

**रेखाचित्र 18: 2025-26 में राज्यों ने स्वयं कर राजस्व से 50% प्राप्तियां जुटाने का अनुमान लगाया है (% में)**



नोट: दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, और पुद्दुचेरी में केंद्रीय करों का हस्तांतरण नहीं होता क्योंकि वे केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

कुल मिलाकर राज्यों ने 2025-26 में स्वयं-कर और स्वयं-गैर-कर स्रोतों से 58% राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें कर हस्तांतरण के रूप में 28% और अनुदान-सहायता के रूप में 14% राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। 2025-26 में 10 राज्यों में स्वयं-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों के 50% से अधिक होने का अनुमान है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल हैं। राज्यों के लिए स्वयं-कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत एसजीएसटी है।


2025-26 में गैर-कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 8% होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज संपन्न राज्यों में गैर-कर राजस्व अधिक होने का अनुमान है। पुद्दुचेरी और गोवा में गैर-कर राजस्व औसत से अधिक है क्योंकि बिजली वितरण का प्रबंधन बिजली वितरण कंपनियों के बजाय राज्य बिजली विभागों द्वारा किया जाता है।

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की निर्भरता केंद्र से प्राप्त होने वाली धनराशि पर अधिक है। 2025-26 में पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी राजस्व प्राप्तियों का 68% केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों को भी अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 41% कर हस्तांतरण से और 15% अनुदान सहायता से प्राप्त होने का अनुमान है। हस्तांतरण के विपरीत कुछ केंद्रीय अनुदान सशर्त प्रकृति के होते हैं जबकि अन्य शर्त रहित होते हैं। सशर्त अनुदान स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत मिशन जैसी विशिष्ट योजनाओं पर व्यय से जुड़े होते हैं। शर्त रहित अनुदानों में राज्यों को राजस्व घाटे के लिए दिए जाने वाले अनुदान शामिल होते हैं।

### राज्यों का स्वयं कर राजस्व जीएसडीपी का 6.8% होने का अनुमान

2025-26 में राज्यों का स्वयं कर राजस्व उनकी जीएसडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। यह 2024-25 के संशोधित अनुमानों से थोड़ा अधिक है। 2023-24 (वास्तविक) में राज्यों का स्वयं-कर राजस्व जीएसडीपी का 6.4% था। महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों का जीएसडीपी स्वयं कर राजस्व अनुपात औसत से अधिक है। 2025-26 में उत्तर प्रदेश में स्वयं कर राजस्व और जीएसडीपी का अनुपात सबसे अधिक (9.6%) रहने का अनुमान है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बजट अनुमानों की तुलना वास्तविक (एक्युअल्स) से करने पर बजट लक्ष्य से लगातार कम प्राप्ति का पता चलता है (रेखाचित्र 37 देखें)। बिहार, गुजरात, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल ने 2025-26 में स्वयं कर राजस्व और जीएसडीपी का अनुपात औसत से कम रहने का अनुमान लगाया है। बिहार और गुजरात में कम राजस्व का कारण आबकारी से लगभग शून्य राजस्व संग्रह हो सकता है क्योंकि इन राज्यों ने शराबबंदी लागू की है।

रेखाचित्र 19: 2025-26 में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्वयं कर राजस्व सबसे अधिक



नोट: जीएसडीपी अनुमानों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली और पुद्दुचेरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।


### राज्यों में स्वयं-कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा एसजीएसटी

2025-26 में राज्यों ने अनुमान लगाया है कि निम्नलिखित मुख्य स्रोतों से स्वयं कर राजस्व प्राप्त होगा: (i) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी, 44%), (ii) बिक्री कर (20%), (iii) राज्य उत्पाद शुल्क (14%), (iv) स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क (12%)। एसजीएसटी राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे उसकी दर संरचना और इसमें बदलाव राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान में जीएसटी परिषद को किसी भी कर दर परिवर्तन को मंजूरी देनी होती है। परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के वोट का भार कुल डाले गए वोटों का एक तिहाई होता है।<sup>22</sup> जीएसटी से पहले राज्य कर दरें तय करने के लिए अपने आप निर्णय ले सकते थे। अब यह फैसला जीएसटी परिषद करती है, और राज्यों की यह स्वायत्तता खत्म हो गई है।<sup>1</sup>



3 सितंबर, 2025 को जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों को 5% और 18% के दो मानक स्लैब में सुव्यवस्थित करने को मंजूरी दे दी, साथ ही चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष डिमेरिट दर भी लागू कर दी। ये बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे।<sup>23</sup> इस बदलाव का राज्य जीएसटी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राज्यों को जीएसटी के अलावा राज्य पेट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल पर लगाए गए बिक्री कर/वैट से भी राजस्व प्राप्त होता है। ये वस्तुएं वर्तमान में जीएसटी के दायरे में नहीं आतीं। हालांकि जीएसटी परिषद उस तारीख का सुझाव दे सकती है जिस दिन पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जीएसटी लगाया जा सकता है।<sup>22</sup> उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

**रेखाचित्र 20: 2025-26 में स्वयं कर राजस्व की संरचना (जीएसटीपी के प्रतिशत के रूप में)**



नोट: दिल्ली और पुद्दुचेरी को उपरोक्त रेखाचित्र में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनके लिए 2025-26 का जीएसटीपी अनुमान उपलब्ध नहीं है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

## राजस्व वृद्धि के स्रोत

राज्य विभिन्न स्रोतों से राजस्व जुटाने के तरीके अपना रहे हैं। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अध्ययन में यह सुझाव दिया गया था कि कम मूल्य के आवासों पर स्टांप शुल्क कम किया जाए या पूरा ही हटा दिया जाए।<sup>24</sup> 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि स्टांप शुल्क की ऊँची दरों के कारण लोग संपत्ति की कीमत कम करके बताते हैं और संपत्ति एवं पूंजीगत लाभ कर की वसूली कम होती है।


हाल के वर्षों में कई राज्यों ने राजस्व बढ़ाने के लिए सुधार किए हैं। 2024-25 में गुजरात ने अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ रियल एस्टेट लेनदेन पर स्टांप शुल्क में कटौती की घोषणा की। पंजाब ने अगस्त 2024 में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की शुरुआत की।<sup>25</sup> आरबीआई (2023) ने कहा था कि राज्य अपने गैर-कर राजस्व को इन माध्यमों से बढ़ा सकते हैं: (i) बिजली, पानी और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर उपयोगकर्ता शुल्क में संशोधन, (ii) खनन पर रॉयल्टी और प्रीमियम, और (iii) सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए ऋणों से ब्याज प्राप्ति। उसने राज्यों को यह सुझाव भी दिया था कि गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण अधिक से अधिक करे और सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयों का लिक्विडेशन करे, जो अब काम नहीं कर रही। अप्रैल 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) सहित परिसंपत्ति मुद्रिकरण पहलों के माध्यम से 28,724 करोड़ रुपए जुटाए।<sup>26</sup> इनविट्स ऐसे पूल्ड ट्रस्ट होते हैं जिनके जरिए निवेशक बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य परिसंपत्ति मुद्रिकरण के लिए इनविट पद्धति को अपनाने की योजना बना रहे हैं।<sup>27</sup>

2021 में केरल में वित्तीय संसाधन और संसाधन जुटाव से संबंधित कार्य समूह ने राजस्व वृद्धि के निम्नलिखित उपाय सुझाए थे: (i) भूमि का उचित मूल्य बढ़ाना, (ii) स्टांप शुल्क की दरों को कम करना, और (iii) शराब पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना।<sup>28</sup>

## स्वयं गैर-कर राजस्व जीएसडीपी का 1.2% अनुमानित

कर स्रोतों के अतिरिक्त राज्यों ने गैर-कर स्रोतों से राजस्व प्राप्ति का 8% जुटाने का अनुमान लगाया है। इनमें लाभांश और मुनाफे, ब्याज प्राप्ति, और खनन और धातुकर्म उद्योगों से राजस्व जैसे स्रोतों से प्राप्ति शामिल हैं। खनिज संपन्न राज्यों के लिए खनन से प्राप्त राजस्व गैर-कर राजस्व को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने खनन से जीएसडीपी का 5.6%, 4.6% और 3.5% राजस्व जुटाने का अनुमान लगाया है। ओडिशा ने गैर-कर राजस्व स्रोतों से 26% राजस्व प्राप्ति जुटाने का अनुमान लगाया है, जबकि स्वयं कर स्रोतों से 28% राजस्व प्राप्ति हैं। गोवा में बिजली वितरण एक विभागीय कार्य होने के कारण गैर-कर राजस्व अधिक है। इसकी तुलना में अधिकांश अन्य राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां बिजली वितरण का काम करती हैं।

### रेखाचित्र 21: गैर-कर स्रोतों से राजस्व जीएसडीपी का 1.2% अनुमानित




नोट: जीएसडीपी अनुमानों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली और पुद्दुचेरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## खनन से राजस्व

खनन से प्राप्त राजस्व कुछ राज्यों के लिए गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2025-26 में 12 राज्यों ने 1,60,232 करोड़ रुपये (उनके जीएसडीपी का 0.6%) का खनन राजस्व अनुमानित किया है। इस राजस्व का अधिकांश हिस्सा खदानों के लिए भुगतान की गई फीस, किराए और रॉयल्टी से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे खनन समृद्ध राज्यों ने 2025-26 में स्वयं गैर-कर राजस्व का 81% खनन राजस्व का अनुमान लगाया है। 2016-17 और 2023-24 के बीच राज्यों ने खदानों की नीलामी से 2,45,198 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। राज्य गैर-कार्यशील खदानों को उत्पादन के तहत लाकर अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।<sup>29</sup> जनवरी 2025 तक ओडिशा में परिचालन दर (कुल खदानों में से) सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित अधिकांश अन्य राज्यों ने आवंटित या नीलाम की गई खदानों के 10% से भी कम का परिचालन किया है।<sup>30</sup> जनवरी 2025 तक ओडिशा में परिचालन दर सबसे अधिक है (कुल खदानों में से)। लघु खनिज भूमि और रेत खदानों की नीलामी, खनन की प्रक्रिया में अतिरिक्त सतह हटाना या अपशिष्ट के निपटान के लिए अनुपूरक खनन पट्टा विलेखों का निष्पादन, तथा अन्वेषण परियोजनाओं में निवेश जैसी पहलों से राज्यों के राजस्व में वृद्धि हो सकती है।<sup>30,31</sup> कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्य खनन कार्यों की निगरानी, अवैध गतिविधियों को रोकने और खनन राजस्व बढ़ाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजिंग का उपयोग कर रहे हैं।<sup>8</sup>


अगस्त 2023 में संसद ने खान एवं खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) संशोधन एक्ट, 2023 पारित किया। इनमें से एक प्रमुख संशोधन में राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण अधिकारों की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार देना शामिल था। जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पूर्व निर्णय को पलट दिया था और राज्य सरकारों के खनिज अधिकारों और खदानों व खदानों से संबंधित भूमि पर कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखा था। इससे खनन कार्यों पर शुल्क लगाकर राज्य के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।<sup>32</sup>

**रेखाचित्र 22: राज्यों में खनन राजस्व 2020-21 में जीएसडीपी के 0.4% से बढ़कर 2025-26 में 0.6% होने का अनुमान**



नोट: इस रेखाचित्र में 12 राज्यों के खनन राजस्व को शामिल किया गया है। ये राज्य इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; एमओएसपीआई; पीआरएस।

**रेखाचित्र 23: 2025-26 में खनन से राज्यवार राजस्व**




स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## राज्य द्वारा किया जाने वाला व्यय मुख्यतः राजस्व व्यय

राज्यों में व्यय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) राजस्व व्यय और (ii) पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो आवर्ती प्रकृति का होता है और सरकार की परिसंपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता। इसके उदाहरणों में वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, प्रशासनिक व्यय और योजनाओं पर व्यय शामिल हैं। पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जो परिसंपत्तियों के निर्माण या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें निम्नलिखित व्यय शामिल हैं: (i) राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल, और (ii) ऋणों की अदायगी के निर्माण पर खर्च किया गया धन।

2025-26 में राज्यों द्वारा कुल व्यय का 82% राजस्व मदों पर, 16% परिसंपत्तियों के निर्माण पर और 1.4% ऋण व एडवांस देने पर खर्च करने का अनुमान है (विश्लेषण के लिए व्यय से ऋण घटक को बाहर रखा गया है)। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल सहित राज्यों द्वारा राजस्व मदों पर 90% से अधिक खर्च करने का अनुमान है। औसत से अधिक पूंजीगत परिव्यय वाले राज्यों में कुछ पूर्वोत्तर राज्य, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्य आमतौर पर उच्च केंद्रीय हस्तांतरण और परिणामस्वरूप उच्च राजस्व अधिशेष के कारण पूंजीगत परिव्यय पर अधिक खर्च करते हैं।

### रेखाचित्र 24: 2025-26 में राजस्व व्यय कुल व्यय का 82% होने का अनुमान




स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज, पीआरएस।

## राजस्व प्राप्तियों का 50% वेतन, ब्याज और पेंशन पर खर्च किया जाएगा

अपने राजस्व व्यय का एक हिस्सा राज्यों को ऐसी मदों पर खर्च करना पड़ता है, जिन्हें वहन करना उनका दायित्व है। इनमें वेतन, पेंशन और उधार पर ब्याज का भुगतान शामिल है। इन मदों पर व्यय आमतौर पर अल्प से मध्यम अवधि में कम नहीं किया जा सकता। अगर राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय के लिए आवंटित किया जाता है तो इससे राज्यों के पास अन्य विकास कार्यों पर खर्च करने की राजकोषीय गुंजाइश कम होती है। कुछ मामलों में इससे राज्य को अपने राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेने को मजबूर होना पड़ सकता है (राजस्व घाटा, देखें, रेखाचित्र 29: 2025-26 में 10 राज्यों ने राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है)। 2025-26 में राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का 50% वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च करने का अनुमान लगाया है। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने प्रतिबद्ध मदों पर 60% से अधिक खर्च करने का अनुमान लगाया है। इसकी तुलना में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने 2025-26 में सभी राज्यों के औसत से कम खर्च करने का बजट बनाया है।

## रेखाचित्र 25: प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान राजस्व प्राप्तियों का आधा है



नोट: रेखाचित्र में शामिल नहीं किए गए राज्यों ने अपने बजट दस्तावेजों में 2024-25 संशोधित अनुमान या 2025-26 बजट अनुमान चरण के लिए वेतन अनुमान नहीं दिए हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

### वेतन आयोग


अगस्त 2024 में कर्नाटक ने सातवें राज्य वेतन आयोग के सुझावों को लागू किया।<sup>33</sup> इस संशोधन से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी जिससे प्रति वर्ष 20,208 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। राज्य का वेतन व्यय 2025-26 में 85,860 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 2022-23 में यह 50,061 करोड़ रुपए था।

2024-28 के लिए अपनी मध्यम अवधि की

राजकोषीय योजना में राज्य सरकार ने अगले कई वर्षों में प्रतिबद्ध व्यय में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया है।<sup>34</sup> उसने कहा कि इस संशोधन से राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को बरकरार रखने में गंभीर चुनौतियां आएंगी।

2023-24 में वेतन और पेंशन भुगतान सभी राज्यों की संयुक्त राजस्व प्राप्तियों का 39% होगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझाव 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद के साथ, अन्य राज्य भी अपने वेतनमानों में संशोधन कर सकते हैं।<sup>35</sup> वेतन और पेंशन जैसे प्रतिबद्ध व्यय को अल्प से मध्यम अवधि में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि से अन्य विकास संबंधी व्यय के लिए गुंजाइश और कम हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे उच्च प्रतिबद्ध व्यय वाले राज्यों को आगे भी राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यय में इस वृद्धि की भरपाई के लिए, उच्च राजस्व घाटे वाले राज्यों को अतिरिक्त उधार लेना पड़ सकता है, अपने पूंजीगत व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है, या अपने राजस्व में वृद्धि करनी पड़ सकती है।

### रेखाचित्र 26: कर्नाटक में वेतन और पेंशन व्यय (करोड़ रुपए में)



स्रोत: कर्नाटक राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## राज्यों ने 2023-24 में अपनी राजस्व प्राप्तियों का 9% सबसिडी पर खर्च किया


हालांकि सभी राज्य अपने बजट दस्तावेजों में सबसिडी का विस्तृत ब्यौरा नहीं देते, लेकिन कैंग अपने ऑडिट के बाद इस संबंध में विवरण देता है। इसलिए हमारे पास ये आंकड़े विलंब के साथ उपलब्ध हैं। 2023-24 (वास्तविक) में 24 राज्यों ने सबसिडी पर 3,18,815 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उनकी राजस्व प्राप्तियों का 9% है। राज्य सरकारें परिवहन, बिजली और गैस सिलेंडर जैसी सेवाओं के लिए सबसिडी प्रदान करती हैं। सबसिडी व्यय में अधिक हिस्सेदारी वाले राज्यों में पंजाब (राजस्व प्राप्तियों का 21%), तमिलनाडु (14%), राजस्थान (14%), कर्नाटक (14%), और गुजरात (13%) शामिल हैं।

सबसिडी पर कुल व्यय में से, 19 राज्यों ने 53% बिजली सबसिडी पर खर्च किया। तमिलनाडु ने अपने कुल सबसिडी बजट का 60% बस परिवहन (12%), सबसिडी वाली बिजली दरों (20%), और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

योजना के तहत सहायता (28%) पर खर्च किया। पंजाब ने अपने कुल सबसिडी बजट का 90% बिजली सबसिडी पर खर्च किया।


15वें वित्त आयोग ने कहा था कि कृषि ऋण माफी और सबसिडी में वृद्धि का राज्य के वित्त पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।<sup>1</sup> आरबीआई (2024) ने यह भी सुझाव दिया था कि राज्यों को उत्पादक व्यय के लिए गुंजाइश बनाने हेतु अपने सबसिडी व्यय को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।<sup>8</sup>

**रेखाचित्र 27: नौ राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों का 10% से अधिक सबसिडी पर खर्च करते हैं**



स्रोत: कैंग फाइनेंस एकाउंट्स; राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

**रेखाचित्र 28: 2023-24 में सबसिडी बजट का लगभग आधा हिस्सा बिजली सबसिडी पर खर्च किया गया**




स्रोत: कैंग फाइनेंस एकाउंट्स; राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## 2025-26 में कई राज्यों में राजस्व घाटे का बजट अनुमान है

2025-26 में 10 राज्यों ने बजट अनुमान चरण में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। किसी राज्य के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व संतुलन कहा जाता है। राजस्व घाटा तब होता है जब राज्य का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। राजस्व खाते का घाटा वेतन, पेंशन, प्रशासनिक व्यय या ब्याज जैसी राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ली गई उधारियों को दर्शाता है। इन उधारियों से किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। दूसरी ओर, जब राज्य की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक हो जाती हैं, तो राज्य राजस्व अधिशेष अर्जित करता है। 12वें वित्त आयोग (एफसी) ने एक निश्चित समय सीमा तक राजस्व घाटे को समाप्त करने का सुझाव दिया था।<sup>36</sup> 13वें वित्त आयोग (2010-15) ने यह समय सीमा 2014-15 निर्धारित की थी।<sup>36</sup> अतीत में सभी वित्तीय आयोगों ने राज्यों को हस्तांतरण के बाद की राजस्व संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व अनुदान प्रदान किए हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने पाया है कि राजस्व घाटा अनुदान कर जमा करने की कोशिशों और राजकोषीय विवेकशीलता के लिए बाधक होते हैं।<sup>36</sup> इसके अलावा उच्च केंद्रीय हस्तांतरण के कारण पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का राजस्व अधिशेष या राजस्व संतुलन अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में शर्त रहित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने वाले कई राज्यों के राजस्व संतुलन में गिरावट देखी गई है (पृष्ठ 8, 9 देखें)। इसका अर्थ है कि राज्यों ने अन्य राजस्व व्यय को सुव्यवस्थित नहीं किया है या अपनी राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की है।



### रेखाचित्र 29: 2025-26 में 10 राज्यों ने राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है




नोट: जीएसडीपी अनुमानों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली और पुद्दुचेरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं। असम ने 2025-26 में राजस्व संतुलन (कोई राजस्व घाटा या अधिशेष नहीं) का अनुमान लगाया है। हम 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों को लगभग अनुदान के बराबर मान रहे हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

### 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8% रहने का अनुमान

जब कुल व्यय प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो राज्य सरकारें इस अंतर को उधार लेकर पूरा करती हैं। इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा उस वर्ष के लिए आवश्यक उधारी के बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक हों, तो राजकोषीय अधिशेष उत्पन्न होता है। संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2003 के पारित होने के बाद कई राज्यों ने भी अपने-अपने एफआरबीएम कानून पारित किए। एफआरबीएम एक्ट सरकार के घाटे और बकाया देनदारियों की सीमाएं निर्धारित करते हैं और इनका उद्देश्य ऋण प्रबंधन और पारदर्शी राजकोषीय नीति सुनिश्चित करना होता है।

2025-26 के लिए राज्यों की राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 3% पर निर्धारित की गई है, जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए 2021-22 और 2025-26 के बीच जीएसडीपी के 0.5% के अतिरिक्त वार्षिक उधार की गुंजाइश दी जा सकती है। 2025-26 में राज्यों ने जीएसडीपी के 3.2% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। एसएससीआई ऋणों को छोड़कर राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8% अनुमानित है। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये ऋण राज्यों की वार्षिक उधार सीमा से बाहर रखे गए हैं। उच्च राजकोषीय घाटे वाले राज्यों में सिक्किम (4%), मध्य प्रदेश (4%), पंजाब (3.8%), और आंध्र प्रदेश (3.8%) शामिल हैं।

### रेखाचित्र 30: सात राज्यों में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% से अधिक होने का अनुमान है (2025-26 बजट अनुमान)




नोट: राज्यों के राजकोषीय घाटे के अनुमानों में पूंजीगत व्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण शामिल नहीं हैं क्योंकि ये ऋण राज्यों की वार्षिक उधार सीमा की गणना से बाहर रखे गए हैं। जीएसडीपी अनुमानों की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली और पुद्दुचेरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

### मार्च 2025 तक राज्यों की बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 27.2% होने का अनुमान है

किसी राज्य में राजकोषीय घाटा होने पर उसे अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेना आवश्यक हो जाता है। कई वर्षों से प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए उधार, उसके बकाया

ऋण में वृद्धि करते हैं। इसमें सार्वजनिक खातों की अन्य देनदारियां भी शामिल हैं। बकाया देनदारियों में वृद्धि भविष्य में राज्य के लिए अपने ऋण चुकाने के अधिक दायित्व का संकेत देती है। राज्यों के एफआरबीएम एक्ट, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उधार की सीमा निर्धारित करते हैं। 2017 में एफआरबीएम समीक्षा समिति (अध्यक्ष: श्री एन.के. सिंह) ने केंद्र के लिए जीडीपी अनुपात की सीमा 40% और राज्यों के लिए 20% निर्धारित की थी। इस लक्ष्य को 2023 तक हासिल किया जाना था। 2024-25 में राज्यों ने औसतन जीएसडीपी के 27.2% की उधारी का अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए प्रदान किए गए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों को शामिल नहीं करता है क्योंकि इन ऋणों का राज्यों के ऋण सेवा दायित्वों पर मामूली प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए जीएसडीपी अनुपात में सांकेतिक ऋण भी निर्धारित किया था, चर्चा के लिए पृष्ठ 9, 10 देखें। जीएसडीपी अनुपात में उच्च बकाया ऋण वाले राज्यों में पंजाब (46%), हिमाचल प्रदेश (44%), और अरुणाचल प्रदेश (42%) शामिल हैं।

**रेखाचित्र 31: मार्च 2025 तक 19 राज्यों में बकाया देनदारियां 30% या उससे अधिक होने का अनुमान है**




नोट: आंकड़े बजट अनुमानों के अनुसार हैं। स्रोत: आरबीआई; अतारंकित प्रश्न संख्या 4087, व्यय विभाग, लोकसभा, 18 अगस्त, 2025; पीआरएस।

### राज्यों की बजटेतर उधारी

बजटेतर उधारी किसी विशेष वर्ष में व्यय के वित्तपोषण के लिए ली गई उधारी होती है, जो सरकार के बजट में प्रतिबिंबित नहीं होती।<sup>37</sup> ये उधारी सरकारी स्वामित्व वाली या नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा ली जाती हैं, और इसलिए पूर्व विधायी मंजूरी के दायरे से बाहर रहती हैं।<sup>37</sup> कैंग (2022) ने कहा था कि बजटेतर उधारी में सरकारी बजट के माध्यम से मूलधन और ब्याज का भुगतान शामिल होता है।<sup>37</sup>

### रेखाचित्र 32: 2021-22 से बजटेतर उधारी में गिरावट आई है




स्रोत: अतारंकित प्रश्न संख्या 4004, लोकसभा, वित्त मंत्रालय, 18 अगस्त, 2025; एमओएसपीआई; पीआरएस।

राज्य सरकारों की घोषणा के अनुसार, 19 राज्यों की 2021-22 में बजटेतर उधारी 67,075 करोड़ रुपये (उनके जीएसडीपी का 0.4%) थी। यह 2024-25 में घटकर 24,955 करोड़ रुपये या उनके जीएसडीपी का 0.1% रह गई है (अनुलग्नक में तालिका 7 देखें)। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यों को किसी भी प्रकार की बजटेतर उधारियों या संसाधनों का सहारा नहीं लेना चाहिए।<sup>38</sup> उसने इस बात भी पर जोर दिया था कि बकाया बजटेतर उधारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें समयबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए।<sup>8</sup> आरबीआई (2024) ने कहा था कि राज्यों द्वारा लगातार बजटेतर उधारियां दर्ज करने से राज्यों में राजकोषीय पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ सकता है।

## राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य आकस्मिक देनदारियां शामिल नहीं हैं। राज्य सरकारें वित्तीय संस्थाओं से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) द्वारा लिए गए उधार की गारंटी देती हैं। ऐसा इन उद्यमों की खराब क्रेडिट प्रोफाइल के कारण हो सकता है। सरकारी गारंटी इन उद्यमों के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना आसान बनाती है। अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उधारकर्ता संस्था द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में, राज्य सरकार भुगतान करने के लिए बाध्य होती है। 2023 में राज्य सरकार की गारंटी से संबंधित कार्य समूह ने राज्य द्वारा जारी वार्षिक वृद्धिशील गारंटियों के लिए जीएसडीपी के 0.5% या राजस्व प्राप्तियों के 5% (जो भी कम हो) की सीमा का सुझाव दिया था।<sup>39</sup> मार्च 2024 तक 27 राज्यों द्वारा दी गई गारंटियां, उनके जीएसडीपी के 4.4% के बराबर थीं। जीएसडीपी अनुपात के उच्च स्तर वाले राज्यों में तेलंगाना (15.1%), आंध्र प्रदेश (10.9%), सिक्किम (9.5%), राजस्थान (7.3%), और उत्तर प्रदेश (6.4%) शामिल हैं।


### रेखाचित्र 33: 2023-24 में कुल बकाया गारंटी कुल जीएसडीपी का 4.2%



स्रोत: संबंधित राज्यों के लिए कैंग फाइनेंस एकाउंट्स; पीआरएस।

कई राज्यों के लिए कुल गारंटियों में सबसे बड़ा हिस्सा बिजली क्षेत्र का था। औसतन राज्यों की बकाया गारंटियों में बिजली क्षेत्र का हिस्सा 47% था (देखें रेखाचित्र 34: 2023-24 में राज्यों की कुल गारंटी में बिजली क्षेत्र की गारंटी का हिस्सा 47%)। इसके अतिरिक्त राज्यों ने अन्य क्षेत्रों के लिए भी गारंटी दी जैसे कि आंध्र प्रदेश में कृषि (26%), छत्तीसगढ़ में सहकारिता (60%), झारखंड और मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (49%), तथा तेलंगाना में सिंचाई (37%) क्षेत्र के लिए गारंटी दी गई।

### रेखाचित्र 34: 2023-24 में राज्यों की कुल गारंटी में बिजली क्षेत्र की गारंटी का हिस्सा 47%



स्रोत: संबंधित राज्यों के लिए कैंग फाइनेंस एकाउंट्स; पीआरएस।


## राज्यों में डिस्कॉम घाटा

अधिकांश राज्यों में बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। कई राज्यों में फैली ये डिस्कॉम लगातार घाटे में चल रही हैं जिससे राज्य सरकारों पर राजकोषीय बोझ बढ़ रहा है। 2023-24 में राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम ने 34,453 करोड़ रुपए का कुल घाटा दर्ज किया जो 2022-23 के 74,588 करोड़ रुपए से बेहतर है (रेखाचित्र 5 देखें)।<sup>40</sup> आपूर्ति की प्रति इकाई लागत और टैरिफ एवं सबसिडी (एसीएस-एआरआर) से प्राप्त प्रति इकाई राजस्व के बीच का अंतर 0.49 रुपए प्रति किलोवाट घंटा से घटकर 0.18 रुपए प्रति

किलोवाट घंटा हो गया। इस नुकसान की गणना राज्य सरकार से प्राप्त वास्तविक सबसिडी के आधार पर की जाती है। अधिक सबसिडी और बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व में सुधार के कारण वित्तीय घाटे में आंशिक रूप से कमी आई है। डिस्कॉम को मिलने वाली सबसिडी 2022-23 में 1,83,521 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2,05,300 करोड़ रुपए हो गई।


हालांकि बिजली वितरण कंपनियों का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटा 2022-23 में 15.5% से बढ़कर 2023-24 में 16.4% हो गया। एटीएंडसी घाटा, ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि और गलत मीटरिंग व बिजली चोरी के कारण होने वाले वाणिज्यिक घाटे को संदर्भित करता है। उदय योजना के तहत, सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों को 2018-19 तक अपने एटीएंडसी घाटे को 15% तक कम करना था और एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करना था।<sup>41</sup> केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अंतर्गत पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना का लक्ष्य पूरे भारत में एटीएंडसी घाटे को 12%-15% तक कम करना और 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करना है।<sup>42</sup> 15वें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार, राज्यों को 2021-22 और 2025-26 के बीच बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए सालाना जीएसडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जा रही है।<sup>5</sup>

## रेखाचित्र 35: राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम का वित्तीय घाटा (करोड़ रुपए में)



स्रोत: विद्युत वित्त निगम; पीआरएस।

## रेखाचित्र 36: राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों की बकाया देनदारियां (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत: विद्युत वित्त निगम; राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम की देनदारियां राज्य सरकारों की आकस्मिक देनदारियां होती हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश डिस्कॉम राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं। डिस्कॉम का खराब वित्तीय प्रदर्शन राज्य के वित्त के लिए खतरा पैदा करता है। राज्यों को संबंधित डिस्कॉम द्वारा डिफॉल्ट के मामले में दी गई गारंटी को चुकाना होता है। मार्च 2024 तक राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम का बकाया ऋण 7,42,461 करोड़ रुपए या जीएसडीपी का 2.7% था (रेखाचित्र 36 देखें)। आरबीआई (2024) का कहना है कि घाटे में चल रही डिस्कॉम कंपनियों को बार-बार बेलआउट करने से राज्यों के बहुमूल्य संसाधन बर्बाद होते हैं। उसने सुझाव दिया था कि राज्यों को निम्नलिखित द्वारा डिस्कॉम कंपनियों की परिचालन दक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए: (i) वितरण घाटे को कम करना, (ii) मीटरिंग प्रणालियों में सुधार करना, (iii) समय पर टैरिफ संशोधन सुनिश्चित करना, और (iv) सरकारी सबसिडी पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहन देना।<sup>8</sup> अक्टूबर 2025 में केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिजली एक्ट, 2003 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट बिल प्रसारित किया है। इस बिल का उद्देश्य बिजली की आपूर्ति की लागत को दर्शाने के लिए टैरिफ निर्धारित करना है।<sup>43</sup>


## बजट अनुमानों की विश्वसनीयता

राज्य बजट में तीन प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं: (i) बजट अनुमान: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक अनुमान, (ii) संशोधित अनुमान: चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान में संशोधन, और (iii) वास्तविक आंकड़े: पिछले वर्ष की अंतिम लेखापरीक्षित राशि। राज्य विधानमंडल बजट अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बजट को मंजूरी देता है। संशोधित अनुमान चालू वर्ष में सरकार के वित्त की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि ये उस वर्ष में पहले से दर्ज वास्तविक लेन-देन के संदर्भ में बनाए जाते हैं। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमानों से कम या अधिक हो सकते हैं, और यह तुलना प्रस्तावित बजट की विश्वसनीयता को समझने में मदद करती है।

### राज्यों ने 2015-16 और 2023-24 के बीच बजट से 10% कम राजस्व जुटाया

2015-16 और 2023-24 के बीच राज्यों ने अपने बजट अनुमानों की तुलना में औसतन 10% कम राजस्व जुटाया। राजस्व प्राप्तियों में सबसे ज्यादा कमी वाले राज्यों में मणिपुर (27%), तेलंगाना (21%) और आंध्र प्रदेश (20%) शामिल हैं। कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने राजस्व प्राप्तियों के अपने बजटीय लक्ष्य को पूरा किया। राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्य अधिक उधार ले सकते हैं। हालांकि किसी राज्य द्वारा किसी विशेष वर्ष में ली जा सकने वाली उधारी की मात्रा उनके एफआरबीएम कानूनों और केंद्र द्वारा निर्धारित उधार सीमा द्वारा सीमित होती है। अगर उधारी बजटीय व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य अपने व्यय में कटौती कर सकते हैं।

### रेखाचित्र 37: राज्यों ने 2015-16 और 2023-24 के बीच राजस्व प्राप्तियों में 10% की कमी दर्ज की




स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; आरबीआई; पीआरएस।

### राज्यों ने 2015-16 और 2023-24 के बीच बजट से 10% कम खर्च (अंडरस्पेंड) किया

राज्यों ने 2015-16 और 2023-24 के बीच अपने बजट से औसतन 9% कम खर्च किया। इसका एक कारण राजस्व संग्रह में कमी हो सकती है। मणिपुर (27%), गोवा (21%), त्रिपुरा (20%), और दिल्ली (17%) जैसे राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा ऐसा किया। दूसरी ओर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बजट के आंकड़ों और वास्तविक खर्च के बीच सबसे कम अंतर देखा गया।


### रेखाचित्र 38: कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने बजट अनुमान से कम खर्च किया



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; आरबीआई; पीआरएस।

2015-16 और 2023-24 के बीच राज्यों में राजस्व व्यय के मामले में औसत अंडरस्पेंडिंग 7% थी। हालांकि पूंजीगत परिव्यय के मामले में अंडरस्पेंडिंग अपेक्षाकृत अधिक 20% थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध मदों पर खर्च होता है जिन्हें अल्प या मध्यम अवधि में कम नहीं किया जा सकता (पृष्ठ 16, 17 देखें)। इसलिए कम राजस्व और सीमित उधारी की भरपाई के लिए, राज्य पूंजीगत परिव्यय पर खर्च को बड़े अनुपात में कम कर सकते हैं। पूंजीगत परिव्यय में अपेक्षाकृत अधिक अंडरस्पेंडिंग करने वाले राज्यों में मणिपुर (49%), गोवा (48%), त्रिपुरा (43%), पंजाब (41%), और आंध्र प्रदेश (39%) शामिल हैं।

**रेखाचित्र 39: पूंजीगत परिव्यय में अंडरस्पेंडिंग, राजस्व व्यय में अंडरस्पेंडिंग की तुलना में अधिक है**



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; आरबीआई; पीआरएस।




## 2025-26 में क्षेत्रवार परिव्यय

हम यहां बता रहे हैं कि राज्यों ने 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार प्रमुख क्षेत्रों के लिए कितना आवंटन किया। किसी विशेष क्षेत्र पर व्यय का हिस्सा राज्य के बजट में उस क्षेत्र की हिस्सेदारी को दर्शाता है। किसी क्षेत्र पर व्यय उस क्षेत्र के राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय का योग होता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और अन्य केंद्रीय अनुदानों के रूप में केंद्र जो अनुदान देता है, उसके कारण भी क्षेत्र के व्यय पर असर हो सकता है। दिल्ली में क्षेत्रीय व्यय अन्य राज्यों से भिन्न हो सकता है क्योंकि यहां की पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है और राज्य के पास ग्रामीण या कृषि क्षेत्र न के बराबर है। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसी मदों का आवंटन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्कूलों पर जो खर्च किया जाता है, उस व्यय को इन वर्गों के कल्याण संबंधी व्यय के रूप में वर्गीकृत करते हैं न कि शिक्षा के तहत; पंजाब अपने यहां के किसानों को बिजली सबसिडी देता है और उस खर्च को कृषि संबंधी व्यय में गिनता है, ऊर्जा संबंधी व्यय में नहीं। 2025-26 में राज्यों ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर कुल 67% व्यय किया है।

### शिक्षा


रेखाचित्र 40: बिहार सभी राज्यों की तुलना में शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करेगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

### सामाजिक कल्याण एवं पोषण


रेखाचित्र 41: झारखंड अपने सामाजिक कल्याण बजट का लगभग आधा हिस्सा शर्त रहित नकद हस्तांतरण पर खर्च करेगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां


रेखाचित्र 42: छत्तीसगढ़ कृषि पर सबसे अधिक खर्च करेगा, जिसमें कृषि इनपुट सहायता पर व्यय भी शामिल है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण


रेखाचित्र 43: तीन राज्यों द्वारा अपने बजट का 8% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने का अनुमान, जोकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## ग्रामीण विकास


रेखाचित्र 44: ग्रामीण आवास पर खर्च के कारण झारखंड ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक खर्च करेगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## ऊर्जा


रेखाचित्र 45: पुद्दुचेरी और गोवा में सरकारी विभाग द्वारा बिजली वितरण



नोट: गोवा और पुद्दुचेरी जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली पर अधिक व्यय होता है, क्योंकि बिजली वितरण का कार्य सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है, न कि राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम द्वारा, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## सड़क एवं पुल


रेखाचित्र 46: पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा सड़कों और पुलों पर अधिक खर्च किए जाने का अनुमान



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## पुलिस


रेखाचित्र 47: मणिपुर में पुलिस पर खर्च सभी राज्यों में सबसे अधिक होने का अनुमान है



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण


रेखाचित्र 48: ओडिशा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर सबसे अधिक खर्च करेगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

## शहरी विकास


रेखाचित्र 49: गुजरात अपनी एक योजना के कारण शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सर्वाधिक खर्च करेगा



स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।


## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

रेखाचित्र 50: आंध्र प्रदेश अपने कुल बजट का 38% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर खर्च करेगा




## जलापूर्ति एवं सैनिटेशन

रेखाचित्र 51: दिल्ली और मध्य प्रदेश जलापूर्ति और सैनिटेशन पर सबसे अधिक खर्च करेंगे



## आवासन

रेखाचित्र 52: ग्रामीण आवास योजना के लिए अधिक आवंटन के कारण पश्चिम बंगाल में 2024-25 तक खर्च में 142% की वृद्धि होगी



## अनुलग्नक

तालिका 2: पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी राशि (करोड़ रु. में)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (11 अगस्त 2025 तक जारी राशि)
आंध्र प्रदेश	688	502	6,106	4,091	7,902	2,010
अरुणाचल प्रदेश	233	371	1,564	2,363	2,471	-
असम	450	600	4,300	5,804	7,428	2,061
बिहार	843	1,247	8,456	8,815	14,791	3,136
छत्तीसगढ़	286	423	2,942	3,365	6,104	1,400
दिल्ली	-	-	-	-	-	542
गोवा	98	111	573	695	1,267	492
गुजरात	285	432	4,046	4,254	5,958	1,434
हरियाणा	91	135	1,267	1,702	1,459	-
हिमाचल प्रदेश	533	800	651	1,516	2,381	452
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-
झारखंड	277	246	2,964	4,581	2,718	-
कर्नाटक	305	452	3,399	3,879	5,296	1,556
केरल	82	239	1,903	-	2,716	657
मध्य प्रदेश	1,320	1,512	7,360	12,636	12,425	2,618
महाराष्ट्र	514	772	6,744	5,376	8,063	2,230
मणिपुर	317	213	467	543	1,437	-
मेघालय	200	281	1,049	1,293	2,370	279
मिजोरम	200	300	298	743	1,361	-
नगालैंड	200	300	504	973	1,600	-
ओडिशा	472	517	75	3,532	6,944	1,967
पुद्दूचेरी	-	-	-	-	-	86
पंजाब	297	224	798	-	2,269	529
राजस्थान	1,002	692	5,596	8,513	9,139	2,669
सिक्किम	200	300	551	798	1,742	141
तमिलनाडु	-	506	4,011	5,326	7,346	1,599
तेलंगाना	358	214	2,501	1,948	2,727	897
त्रिपुरा	300	119	350	663	1,587	293
उत्तर प्रदेश	976	1,483	7,941	19,215	17,224	6,066
उत्तराखंड	675	264	1,124	1,912	2,456	380
पश्चिम बंगाल	630	933	3,656	5,016	10,305	1,534
<b>कुल</b>	<b>11,830</b>	<b>14,185</b>	<b>81,195</b>	<b>1,09,554</b>	<b>1,49,484</b>	<b>35,027</b>

नोट: 2025-26 के लिए राज्यवार आवंटन में केवल योजना के अनटाइड घटक के अंतर्गत आवंटन शामिल हैं। स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 4087, वयय विभाग, लोकसभा, 18 अगस्त, 2025; पीआरएस।

तालिका 3: 2014-15 और 2023-24 के बीच आय, व्यय और राजस्व में वृद्धि के प्रमुख मीट्रिक

राज्य	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (करोड़ रुपए में)		चक्रवृद्धि वार्षिक औसत वृद्धि (सीएजीआर, % में)			
	2014-15	2023-24	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	जीएसडीपी	प्रति व्यक्ति स्वयं राजस्व	प्रति व्यक्ति व्यय
AP	1,04,679	2,66,995	6.7%	11.0%	6.1%	5.8%
AR	1,24,978	2,45,796	4.0%	7.8%	13.5%	15.6%
AS	59,894	1,58,541	7.8%	11.4%	10.2%	11.3%
BR	31,142	68,624	6.4%	9.2%	8.9%	8.6%
CG	81,735	1,68,567	5.7%	8.4%	10.6%	9.9%
DL	2,72,739	5,15,520	5.1%	7.3%	6.8%	6.0%
GA	3,19,827	6,74,684	5.4%	8.6%	9.8%	0.0%
GJ	1,45,484	3,36,875	7.7%	9.8%	8.1%	7.9%
HP	1,46,488	2,83,270	4.9%	7.6%	9.0%	6.4%
HR	1,63,958	3,56,829	6.1%	9.0%	8.4%	9.2%
JH	62,496	1,17,124	4.8%	7.2%	9.8%	10.7%
JK	75,655	1,72,810	5.5%	9.6%	10.4%	-0.2%
KA	1,43,902	3,76,403	7.7%	11.3%	9.0%	9.2%
KL	1,50,824	3,16,612	4.9%	8.6%	7.2%	8.2%
MG	74,637	1,56,816	4.6%	8.6%	11.3%	11.5%
MH	1,52,158	3,19,474	5.2%	8.6%	10.8%	9.9%
MN	58,721	1,34,076	4.6%	9.6%	6.5%	7.2%
MP	62,285	1,55,289	6.4%	10.7%	11.2%	8.5%
MZ	1,15,366	2,67,498	7.5%	9.8%	5.9%	17.0%
NL	89,541	1,76,692	4.1%	7.8%	8.8%	13.7%
OD	72,406	1,72,021	6.7%	10.1%	13.1%	15.7%
PB	1,22,165	2,36,165	5.3%	7.6%	9.6%	6.7%
PY	1,64,653	2,81,614	4.5%	6.1%	6.7%	5.3%
RJ	85,315	1,86,610	5.4%	9.1%	8.5%	7.6%
SK	2,43,392	7,07,181	7.4%	12.6%	8.4%	7.8%
TG	1,37,586	3,82,870	7.1%	12.0%	14.2%	15.2%
TN	1,45,094	3,49,248	6.4%	10.3%	8.9%	8.8%
TR	77,434	1,90,718	6.2%	10.5%	7.3%	10.6%
UK	1,52,805	2,84,468	4.2%	7.1%	8.1%	9.5%
UP	49,145	1,11,475	6.3%	9.5%	8.9%	7.8%
WB	75,916	1,66,196	4.9%	9.1%	9.1%	8.9%

नोट: प्रति व्यक्ति आय, स्वयं राजस्व और व्यय की गणना राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा संबंधित वर्षों के राज्यवार जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की गई है। स्रोत: आरबीआई; एमओएसपीआई; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; 2025-26 के लिए विभिन्न राज्यों के राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।



तालिका 4: 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्यों का सांकेतिक ऋण अनुमान बनाम वास्तविक बकाया ऋण (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26
	I*	A*	I	A	I	A	I	A	I	A	I
आंध्र प्रदेश	35%	36%	34%	33%	34%	33%	33%	34%	33%	33%	32%
अरुणाचल प्रदेश	40%	45%	38%	47%	38%	45%	37%	44%	36%	42%	35%
असम	27%	26%	28%	25%	29%	26%	30%	25%	30%	25%	30%
बिहार	41%	40%	40%	39%	41%	38%	40%	36%	40%	35%	39%
छत्तीसगढ़	28%	28%	29%	26%	30%	23%	31%	27%	31%	27%	32%
गोवा	33%	36%	33%	36%	33%	33%	32%	32%	31%	29%	31%
गुजरात	31%	22%	30%	20%	31%	19%	31%	18%	30%	17%	30%
हरियाणा	32%	34%	31%	32%	31%	31%	31%	30%	30%	30%	30%
हिमाचल प्रदेश	40%	45%	38%	42%	38%	44%	37%	44%	36%	44%	35%
झारखंड	37%	37%	37%	30%	38%	28%	37%	25%	37%	24%	37%
कर्नाटक	26%	26%	26%	25%	27%	25%	27%	25%	27%	26%	27%
केरल	36%	40%	35%	39%	35%	38%	34%	37%	33%	36%	32%
मध्य प्रदेश	31%	31%	32%	30%	33%	29%	33%	29%	34%	30%	34%
महाराष्ट्र	26%	21%	26%	19%	28%	18%	28%	18%	29%	18%	29%
मणिपुर	43%	43%	42%	42%	42%	40%	41%	35%	40%	35%	40%
मेघालय	41%	43%	40%	41%	40%	40%	40%	37%	39%	36%	38%
मिजोरम	37%	42%	36%	39%	36%	35%	35%	31%	34%	27%	33%
नगालैंड	45%	50%	43%	48%	42%	43%	41%	37%	39%	38%	38%
ओडिशा	29%	26%	30%	20%	31%	19%	32%	15%	32%	15%	33%
पंजाब	46%	48%	45%	45%	45%	47%	45%	46%	44%	46%	43%
राजस्थान	41%	40%	40%	39%	40%	37%	40%	36%	39%	35%	38%
सिक्किम	27%	29%	28%	29%	28%	29%	28%	29%	28%	29%	28%
तमिलनाडु	29%	32%	29%	32%	29%	32%	29%	31%	29%	30%	29%
तेलंगाना	30%	29%	29%	28%	30%	26%	30%	26%	29%	26%	29%
त्रिपुरा	36%	40%	35%	35%	35%	30%	35%	27%	34%	25%	33%
उत्तर प्रदेश	41%	37%	40%	32%	41%	30%	40%	30%	40%	31%	39%
उत्तराखंड	33%	33%	33%	29%	34%	26%	34%	24%	34%	23%	34%
पश्चिम बंगाल	43%	44%	42%	41%	43%	39%	42%	38%	42%	37%	41%

नोट: I. सांकेतिक है; A. वास्तविक है। स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट; आरबीआई; एमओएसपीआई; पीआरएस।

तालिका 5: 2016-17 और 2024-25 के बीच अधिकतर राज्यों में ब्याज भुगतान में वार्षिक औसत वृद्धि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से अधिक रही (सीएजीआर, % में)

राज्य	ब्याज भुगतान	राजस्व प्राप्तियां
आंध्र प्रदेश	13%	7%
अरुणाचल प्रदेश	11%	13%
असम	16%	9%
बिहार	12%	10%
छत्तीसगढ़	16%	11%
गोवा	8%	11%
गुजरात	6%	9%
हिमाचल प्रदेश	11%	9%
हरियाणा	8%	6%
जम्मू एवं कश्मीर	9%	8%
झारखंड	4%	9%
कर्नाटक	15%	9%
केरल	12%	6%
मेघालय	14%	9%
महाराष्ट्र	6%	12%
मणिपुर	8%	7%
मध्य प्रदेश	11%	9%
मिजोरम	8%	5%
नगालैंड	7%	7%
ओडिशा	-2%	12%
पंजाब	10%	9%
राजस्थान	9%	9%
सिक्किम	14%	9%
तेलंगाना	14%	9%
तमिलनाडु	15%	9%
त्रिपुरा	7%	10%
उत्तराखंड	8%	9%
उत्तर प्रदेश	5%	10%
पश्चिम बंगाल	7%	8%

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; एमओएसपीआई; पीआरएस।

तालिका 6: विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए शर्त रहित नकद हस्तांतरण योजनाओं के तहत लाभ

राज्य	योजना का नाम	पात्रता के मानदंड	लाभ (प्रति महीना रुपए)	बजट प्रावधान (बअ 2025-26, करोड़ रुपए में)
असम	ओरुनोदोई योजना	18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं	1,250	5,000
छत्तीसगढ़	महतारी वंदन योजना	21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाएं	1,000	5,500
दिल्ली	महिला समृद्धि योजना	-	2,500	5,110
हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना	लाभार्थियों के आधार पर चरणबद्ध रोल-आउट - 18 से 59 वर्ष	1,500	138
हरियाणा	लाडो लक्ष्मी योजना	18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं	2,100	5,000
झारखंड	मुख्यमंत्री मैट्रन सम्मान योजना	18-50 वर्ष	2,500	13,363
कर्नाटक	गृह लक्ष्मी योजना	-	2,000	28,608
महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना	21-65 वर्ष	1,500	36,000
मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना	21-60 वर्ष	1,250	18,669
ओडिशा	सुभद्रा योजना	21-60 वर्ष	833	10,145
तमिलनाडु	मगलिर उरीमाई थोगाई	21 वर्ष और अधिक	1,000	13,807
पश्चिम बंगाल	लक्ष्मीर भण्डार योजना	25-60 वर्ष	1,000-1,200	26,700

स्रोत: संबंधित योजना वेबसाइट; राज्य बजट दस्तावेज; पीआरएस।

तालिका 7: राज्यों में बजटेतर उधारी (करोड़ रुपए में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	6,288	1,976	613	0
असम	239	853	1,102	542
बिहार	520	687	53	0
छत्तीसगढ़	618	2,283	780	584
गोवा	77	0	0	0
हरियाणा	21	22	0	0
कर्नाटक	2,350	4,029	0	5,438
केरल	14,312	6,709	4,688	983
मेघालय	0	64	6	12
महाराष्ट्र	0	2,500	7,700	13,990
मणिपुर	0	293	228	109
मध्य प्रदेश	533	564	374	568
नगालैंड	0	0	39	0
पंजाब	770	484	1,675	4
सिक्किम	454	121	0	0
तेलंगाना	35,258	9,597	2,546	2,697
तमिलनाडु	595	1,121	1,560	28
उत्तर प्रदेश	3,951	3,488	0	0
पश्चिम बंगाल	1,089	1,089	0	0

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 4004, लोकसभा, वित्त मंत्रालय, 18 अगस्त, 2025; एमओएसपीआई; पीआरएस।

## पारिभाषिक शब्द

**प्राप्तियों** का अर्थ है, सरकार को प्राप्त धनराशि। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं: (i) सरकार द्वारा अर्जित धनराशि, (ii) प्राप्त अनुदान (मुख्य रूप से केंद्र से प्राप्त), और (iii) उधारियों या ऋण की अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि।

**पूंजीगत प्राप्तियों** में वे प्राप्तियां शामिल होती हैं जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में गिरावट या देनदारियों में बढ़ोतरी होती है। इनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं: (i) परिसंपत्तियों की बिक्री, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, और (ii) उधारियों के रूप में या ऋण की अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि।

**राजस्व प्राप्तियां** ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। इनमें सरकार द्वारा कर और गैर कर स्रोतों (जैसे लाभांश से प्राप्त होने वाली आय और केंद्र सरकार के अनुदान) से अर्जित धनराशि शामिल होती है।

**पूंजीगत व्यय** परिसंपत्तियों के सृजन या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें: (i) सड़क और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल धनराशि, और (ii) सरकार द्वारा उधारी चुकाने के लिए दी गई धनराशि शामिल है।

**राजस्व व्यय** सरकार का वह व्यय होता है जिसका उसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों पर कोई असर नहीं होता। उदाहरण के लिए उसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, प्रशासनिक खर्च और सबसिडी शामिल होती है।

**केंद्रीय करों के हस्तांतरण** का अर्थ है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय करों, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, केंद्रीय जीएसटी, कस्टम्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों को हिस्सा देना। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के आधार पर राज्यों को धनराशि का हस्तांतरण किया जाता है।

**सहायतानुदान** को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है और वे टाइड प्रकृति के होते हैं यानी उन्हें विशिष्ट योजनाओं और व्यय की मदों पर ही खर्च करना होता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

**बकाया ऋण** का अर्थ है, पिछले कुछ वर्षों में सरकारों द्वारा उधार ली गई वह राशि, जोकि मौजूदा सरकार पर देय है। किसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि वर्ष के अंत में सरकार पर कितना ऋण बकाया है।

**राजकोषीय घाटा**, सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। किसी एक वर्ष में सरकार को कितनी राशि उधार लेनी होगी, यह उसके बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो अधिशेष उत्पन्न होता है।

**राजस्व घाटा** प्राप्तियों के राजस्व घटक और व्यय, यानी राजस्व संवितरण और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को गैर पूंजीगत घटकों (जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होगा) पर व्यय के लिए कितना उधार लेना होगा।

**प्राथमिक घाटा** राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। यह सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर का संकेत देता है लेकिन इसमें इसकी गणना नहीं की जाती कि पिछले वर्षों के दौरान ऋण के ब्याज भुगतानों पर कितना खर्च किया गया।

**राज्य का समेकित कोष** वह कोष या लेखा होता है जिसमें राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और उसे सरकार के व्यय के वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

**प्रभारित (चार्ज) व्यय** में वह व्यय शामिल होता है जिस पर विधानसभा में मतदान नहीं होता और उसे समेकित कोष से सीधा खर्च किया जाता है। ऐसे व्यय पर विधानसभा में चर्चा की जा सकती है। उदाहरणों में ब्याज भुगतान और राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते शामिल हैं।

**मतदान (वोट) व्यय** में प्रभारित व्यय के अतिरिक्त सभी दूसरे व्यय शामिल होते हैं। ऐसे व्यय के लिए अनुदान मांगों के रूप में विधानसभा में मतदान किया जाता है।

**राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संरचना** वित्तीय अनुशासन के संस्थापन के लिए राज्यों द्वारा पारित कानूनों से संबंधित होती है। यह संरचना राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और बकाया ऋण के लक्ष्यों का प्रावधान करती है जिन्हें राज्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करना होता है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राजकोषीय नीति पर वक्तव्य जारी करें।

<sup>1</sup> Chapter 3: Setting the Context: Analysis of the Past, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.

<sup>2</sup> About GST, Central Board of Indirect Taxes and Customs, as accessed on June 22, 2025, <https://cbic-gst.gov.in/about-gst.html>.

<sup>3</sup> GST Reforms 2025: Relief for Common Man, Boost for Businesses, Press Information Bureau, September 4, 2025, <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/sep/doc202594628401.pdf>.

<sup>4</sup> GST Implication To Be Rs 48,000 Crore, Not Right To Call It Loss: Official, NDTV, September 4, 2025, <https://www.ndtv.com/india-news/gst-implication-to-be-rs-48-000-crore-not-right-to-call-it-loss-official-9212200>.

<sup>5</sup> Chapter 10: Performance-based Incentives and Grants, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.

<sup>6</sup> Chapter 8: Sharing of Union Tax Revenues, Volume I, Report of the 14<sup>th</sup> Finance Commission, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/14th-FC/14thFCReport.pdf>.

<sup>7</sup> Guidelines on the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26, Ministry of Finance, April 7, 2025.

<sup>8</sup> State Finances: A Study of Budgets 2024-25, Reserve Bank of India, December 2024, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0STATEFINANCE2024AE6FF65F475C4934B53CC8ABE7FAB30E.PDF>.

<sup>9</sup> “Finance Minister announces Government Reforms and Enablers across Seven Sectors under Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, May 17, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624661#:~:text=Centre%20has%20decided%20to%20increase,out%20of%20four%20reform%20areas>.

<sup>10</sup> Chapter 12: Fiscal Consolidation Roadmap, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.

<sup>11</sup> Chapter 4: Pandemic Times – Analysis for the Future 2021-26, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.

<sup>12</sup> About – Lakshmir Bhandar, as accessed on May 14, 2025, <https://s24pgs.gov.in/lakshmir-bhandar/>.

<sup>13</sup> About – Mukhyamantri Ladli Behna Scheme, as accessed on May 14, 2025, <https://cmladlibahna.mp.gov.in/home.aspx>.

<sup>14</sup> Order No F 3-23/2023/50, Women and Child Development Department, Government of Chhattisgarh, February 2, 2024, [https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/public\\_doc/aadesh.pdf](https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/public_doc/aadesh.pdf).

<sup>15</sup> Subhadra Scheme Guidelines, August 2024, Women and Child Development, Government of Odisha, [https://wcd.odisha.gov.in/sites/default/files/2024-08/SUBHADRA%20Guideline-Eng\\_1.pdf](https://wcd.odisha.gov.in/sites/default/files/2024-08/SUBHADRA%20Guideline-Eng_1.pdf).

<sup>16</sup> “Empowering women through Indira Gandhi Pyari Behna Sukh-Samman Nidhi Yojana: CM”, Government of Himachal Pradesh, June 29, 2024, <http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=34986>.

<sup>17</sup> “Empowering women through Indira Gandhi Pyari Behna Sukh-Samman Nidhi Yojana: CM”, Government of Himachal Pradesh, June 29, 2024, <http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=34986>.

<sup>18</sup> “Maharashtra government reduces women’s welfare stipends, sparks political row”, The Hindu, as accessed on May 14, 2025, <https://www.thehindu.com/news/national/maharashtra/maharashtra-government-reduces-womens-welfare-stipends-sparks-political-row/article69452819.ece>.

<sup>19</sup> Jharkhand Cabinet Decision No. 293/2024, Government of Jharkhand, October 14, 2024, [https://cm.jharkhand.gov.in/sites/default/files/cabinet-decisions-2024-11/cabinet\\_decision\\_14\\_10\\_2024%2528Hindi%2529.pdf](https://cm.jharkhand.gov.in/sites/default/files/cabinet-decisions-2024-11/cabinet_decision_14_10_2024%2528Hindi%2529.pdf).

<sup>20</sup> Starred Question No 50, Lok Sabha, Ministry of Finance, July 24, 2023, <https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1712/AS50.pdf?source=pqals>.

<sup>21</sup> FRBM Review Committee Report, January 2017, <https://dea.gov.in/sites/default/files/Volume%20I%20FRBM%20Review%20Committee%20Report.pdf>.

<sup>22</sup> Report No. 26, “Roadmap for Indian economic growth in light of global economic and geopolitical circumstances”, Standing Committee on Finance, August 19, 2025, [https://sansad.in/getFile/isscommittee/Finance/18\\_Finance\\_26.pdf?source=loksabhadocs](https://sansad.in/getFile/isscommittee/Finance/18_Finance_26.pdf?source=loksabhadocs).

<sup>23</sup> Article 279A, Constitution of India.

<sup>24</sup> “Recommendations of the 56th Meeting of the GST Council held at New Delhi, today”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, September 3, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163555>.

<sup>25</sup> A Revenue Neutral Approach to Lower Stamp Duty and Registration Charges for Affordable Housing, Ministry of Housing and Urban Affairs, September 2020, <https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/Revenue-Neutral-Approach-to-Lower-Stamp-Duty-and-Registration-Charges-for-Affordable-Housing.pdf>.

<sup>26</sup> Notification No 3/4/2021-2T2/950, Department of Transport, Government of Punjab, August 20, 2024, <https://punjabtransport.org/Green%20TAX%20Notification%2020%20Aug%2024.pdf>.

<sup>27</sup> “NHAI Achieves Robust Growth in National Highway Construction During FY 2024-25”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, April 2, 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117781>.

- <sup>27</sup> “Several states likely to tap infra trusts to replicate Delhi’s success”, Business Standard, as accessed on October 2, 2025, [https://www.business-standard.com/india-news/several-states-likely-to-tap-infra-trusts-to-replicate-delhi-s-success-125100600583\\_1.html](https://www.business-standard.com/india-news/several-states-likely-to-tap-infra-trusts-to-replicate-delhi-s-success-125100600583_1.html).
- <sup>28</sup> Working Group on Financial Resources and Resource Mobilisation, Fourteenth Five-Year Plan (2022-27), Kerala State Planning Board, December 2021, <https://spb.kerala.gov.in/sites/default/files/inline-files/Working%20Group%20Report%20Financial%20Resources%20and%20Resource%20Mobilisation.pdf>.
- <sup>29</sup> “Increasing Mineral Production and Operationalisation of Mineral Blocks”, Ministry of Mines, as accessed on September 27, 2025, [https://mines.gov.in/admin/storage/ckeditor/5\\_1736320990.pdf](https://mines.gov.in/admin/storage/ckeditor/5_1736320990.pdf).
- <sup>30</sup> Report on States’ Best Practices in Mining, Federation of Indian Mineral Industries, Ministry of Mines, January 2025, <https://mines.gov.in/admin/download/685a874e549cd1750763342.pdf>.
- <sup>31</sup> Notification No. 16/83/2024 – Mines VI, Ministry of Mines, November 28, 2024, <https://mines.gov.in/admin/download/67497c910cbcf1732869265.pdf>.
- <sup>32</sup> 2024 INSC 554, Mineral Area Development Authority & Anr. Versus M/S Steel Authority of India & Anr Etc., Civil Appeal Nos. 4056-4064 of 1999, The Supreme Court of India, July 25, 2024, [https://api.sci.gov.in/supremecourt/1999/9012/9012\\_1999\\_1\\_1501\\_54138\\_Judgement\\_25-Jul-2024.pdf](https://api.sci.gov.in/supremecourt/1999/9012/9012_1999_1_1501_54138_Judgement_25-Jul-2024.pdf).
- <sup>33</sup> “7th State Pay Commission: Chief Minister’s statement on Revision of Pay and Pension of State Government Employees”, Government of Karnataka, as accessed on September 28, 2025, <https://cm.karnataka.gov.in/608/7th-state-pay-commission:-chief-minister%27s-statement-on-revision-of-pay-and-pension-of-state-government-employees/-en>.
- <sup>34</sup> Medium Term Fiscal Plan 2024-28, Finance Department, Government of Karnataka, February 2024, [https://finance.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/5\\_MTFP2024-2028.pdf](https://finance.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/5_MTFP2024-2028.pdf).
- <sup>35</sup> “8th Pay Commission: When will govt employees and pensioners receive the hike? Details here”, Mint, as accessed on August 18, 2025, <https://www.livemint.com/money/personal-finance/8th-pay-commission-when-will-govt-employees-and-pensioners-receive-the-hike-details-here-11752309907496.html>.
- <sup>36</sup> Chapter 2: Intergovernmental Fiscal Relations – Lessons from International Experience, Volume I, Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf>.
- <sup>37</sup> Report No. 1 of 2022, “Report of the Comptroller and Auditor General of India State Finances Audit Report for the year ended 31 March 2021”, Government of Andhra Pradesh, Comptroller and Auditor General of India, [https://cag.gov.in/uploads/download\\_audit\\_report/2022/Full%20Report-0633175811201a3.78878998.pdf](https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/Full%20Report-0633175811201a3.78878998.pdf).
- <sup>38</sup> Report for the year 2020-21, 15<sup>th</sup> Finance Commission, November 2019, [https://fincomindia.nic.in/asset/pdf/commission-reports/XVFC\\_202021%20Report\\_English\\_Web.pdf](https://fincomindia.nic.in/asset/pdf/commission-reports/XVFC_202021%20Report_English_Web.pdf).
- <sup>39</sup> Report of the Working Group on State Government Guarantees, Reserve Bank of India, September 2023, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/RWGSFG28666DF11C154643BF7FBC5B41C920C9.PDF>.
- <sup>40</sup> Performance of Power Utilities 2023-24, Power Finance Corporation, May 2025, [https://www.pfcindia.co.in/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Operations/Performance\\_Reports\\_of\\_State\\_Power\\_Uilities/Report\\_on\\_Performance\\_of\\_Power\\_Uilities\\_2023-24.pdf](https://www.pfcindia.co.in/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Operations/Performance_Reports_of_State_Power_Uilities/Report_on_Performance_of_Power_Uilities_2023-24.pdf).
- <sup>41</sup> Notification No. 06/02/2015-NEF/FRP, Ministry of Power, Government of India, November 20, 2015, [https://powermin.gov.in/pdf/Uday\\_Ujjawal\\_Scheme\\_for\\_Operational\\_and\\_financial\\_Turnaround\\_of\\_power\\_distribution\\_companies.pdf](https://powermin.gov.in/pdf/Uday_Ujjawal_Scheme_for_Operational_and_financial_Turnaround_of_power_distribution_companies.pdf).
- <sup>42</sup> Guidelines: Revamped Distribution Sector Scheme – Reforms-based and Results-linked, [https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Final\\_Revamped\\_Scheme\\_Guidelines.pdf](https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Final_Revamped_Scheme_Guidelines.pdf).
- <sup>43</sup> Ministry of Power, Government of India, October 9, 2025, [https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Seeking\\_comments\\_on\\_Draft\\_Electricity\\_Amendment\\_Bill\\_2025.pdf](https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Seeking_comments_on_Draft_Electricity_Amendment_Bill_2025.pdf).

**डिस्क्लेमर:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

## **पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च**

इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़  
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय  
212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग  
नई दिल्ली- 110002

टेलीफोन-: (011) 2323 4801, 4343 4035

[www.prsindia.org](http://www.prsindia.org)